www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 15.03.2017

सीबीआई ने चिट फण्ड मामले की जारी जॉंच में प्राइवेट कम्पनी के तत्कालीन मुख्य प्रबन्ध निदेशक एवं तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने चिट फण्ड मामले की जारी जॉंच में पश्चिम बंगाल के कम्पनी समूह के तत्कालीन मुख्य प्रबन्ध निदेशक एवं तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक को गिरफ्तार किया।

वर्तमान मामला, वर्ष 2013 की समादेश याचिका संख्या-401 एवं 2013 की ही समादेश याचिका संख्या 413 में उक्त समूह के कर्मियों के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पास आदेश दिनांक 09.05.2014 पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 420 व 34 तथा इनामी चिट एवं धन परिचालन (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 की धारा 4, 5 एवं 6 के तहत सीबीआई के द्वारा दिनांक 05.06.2014 को दर्ज किया गया। ऐसा आरोप था कि आरोपियों ने आपस में षड़यंत्र कर एक निवेश स्कीम के तहत उच्च मुनाफे के कपटपूर्ण वादे पर निवेशकों से अवैध रूप से धन एकत्र कर लिया एवं इसके पश्चात, पैसा वापस नही किया व असहाय निवेशकों को ठगा। जॉंच से यह भी पता चला कि आरोपी, अन्यों के साथ आपराधिक षड़यंत्र में, उच्च मुनाफे के कपटपूर्ण वादे,विनियामक संस्थाओं से किसी भी प्रकार की अनुमति के बिना गरीब निवेशकों से कथित रूप से भारी राशि (2862 करोड़ रू. लगभग) एकत्र की तथा इसके अनुसरण में, जनमानस के धन के साथ धोखाधड़ी एवं आपराधिक गबन किया।

गिरफ्तार आरोपियों को ए.सी.जे.एम., बीधान नगर कोर्ट (पश्चिम बंगाल) के समक्ष कल पेश किया जायेगा।

****